JHALSA Initiatives to provide free Legal Aid to Mentally ill Child Rahul Kumar of Chatra District, Jharkhand

On publication of the news " Bediyon me Jakra Rahul" with photograph published in Hindi Daily Prabhat Khabar Newspaper dated 06.10.2015, **Hon'ble Mr. Justice D.N.Patel, Judge, High Court of Jharkhand & Executive Chairman, JHALSA** took the initiative to provide Legal Aid to the mentally ill child namely Rahul Kumar of Chatra district of Jharkhand. JHALSA took cognizance in the matter and directions were issued by Hon'ble Mr. Justice D.N. Patel, Executive Chairman JHALSA to submit a Report with respect to the News published in the Prabhat Khabar by DLSA, Chatra.

Accordingly, the Principal District & Sessions Judge-cum-Chairman, DLSA, Chatra in his Report submitted that as per direction, the Secretary, DLSA, Chatra, the C.W.C., Chatra and the Civil Surgeon, Chatra visited the house of the said mentally ill child to verify the genuineness of the said matter.

The Secretary, DLSA, Chatra in his report submitted that he alongwith one PLV visited the house of the said Rahul Kumar and found that he is living with his mother Mostt. Meena Devi and other family members. Thereafter, the Secretary, DLSA, Chatra found that the said Rahul Kumar is shackled to his both legs with iron fetters and when asked to free the said Rahul Kumar, he was told by the mother and family members that it is for his safety and security that he has been kept under fetters otherwise, either he will run away or keep himself confined bolting the door from inside and will be in trouble of safety and security of life, since he is a mentally ill child.

The team of CWC, Chatra also visited the aforesaid house and found the same as described before and observed that the said Rahul Kumar is a 16 years old child who led a normal life till the age of 06 years and thereafter was treated at Sadar Hospital, Chatra for paraqlytic attack, but could not be cured and due to poverty, his guardians could not continue his treatment and presently he is not getting any medical treatment.

A medical team headed by the Civil Surgeon, Chatra also visited the house of the said Rahul Kumar. The medical team comprising the Civil Surgeon, Chatra and Dr. Shyam Nandan Singh, Medical Officer, Sadar

Hospital, Chatra found that the said Rahul Kumar was tied with a rope and chain at lower part of his leg which was freed. This medical team further has reported that there is h/o Meaingoenaphalitis 09 years back treated at Sadar Hospital, Chatra initially and then referred to Dr. Bhandani of Gaya. After treatment, he was not cured completely and residual Neuro Psychiatric Sequel was seen. On examination, he was conscious but not oriented to time, place and person completely. He talks irreverently and there bizarre movement. Chest PA findings are normal. In the light of such findings, the medical team recommended further Neuro Psychiatric management at higher center of the said Rahul Kumar.

After perusal of the Report submitted by Principal District Judge-cum-Chairman, DLSA, Chatra, Hon'ble the Executive Chairman, JHALSA took the initiative for treatment of the said mentally ill child namely: Rahul Kumar and direction were passed by His Lordship to DLSA Chatra to take immediate steps for better treatment of Rahul at RINPAS, Ranchi and accordingly, DLSA, Chatra took necessary steps for shifting of Rahul Kumar from Chatra to RINPAS, Kanke, Ranchi for his proper treatment free of cost with co-ordination of other stakeholders of the State so that the ailing child Rahul Kumar may recover from his illness and may lead a normal life.

After publication of news about said mentally ill child Rahul Kumar, by the efforts of Hon'ble Executive Chairman, JHALSA, he has been admitted in RINPAS, Kanke, Ranchi for his treatment within a fortnight on 14.10.2015. Sri Vinay Sinku, Deputy Director, RINPAS, Ranchi, Dr. Praveen Kumar Sinha and Deputy Secretary, JHALSA were present at RINPAS on 14.10.2015 to ensure the proper care and arrangement for treatment of Rahul at RINPAS, Kanke, Ranchi.

<><><><> <><><><> <><><>

प्रभात खबर \झारखंड

बेड़ियों में जकड़ा राहुल

चतरा के सजना गांव का 16 वर्षीय राहुल कुमार का जीवन बेड़ियों में जकड़ा है. मंद बुद्धि होने के कारण पिछले आठ साल से उसे पैरों में बेड़ी डाल कर रखा जा रहा है. राहुल के पिता की मौत हो चुकी है. घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है. घरवाले उसका इलाज कराने में असमर्थ हैं. राहुल की मां मीना देवी दूसरे के घरों में बर्तन साफ कर जीविका चला रही है. उसकी मां बताती है कि घर से कहीं भाग जाने के डर से उसके पैरों में बेड़ी लगा दी है. कई बार राहुल घर से भाग चुका है. घर पर देखभाल करनेवाला भी कोई नहीं है.

प्रभात खबर \ चतरा

रांची, गुरुवार ,8 अक्टूबर, 2015 | 06
www.prabhatkhabar.com

झालसा ने डालसा से मांगी रिपोर्ट

चतरा. सजना गांव निवासी राहुल कुमार के बेड़ियों में जकड़े होने से संबंधित खबर प्रभात खबर में प्राकाशित होने के बाद झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) ने मामले में संज्ञान लिया. इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) के सचिव से राहुल से संबंधित रिपोर्ट मांगी गयी है.

बुधवार को डालसा के सचिव मो तौफिक अहमद ने सजना गांव पहुंच कर राहुल के परिजनों से मुलाकात की और राहुल के बारे में पूरी जानकारी ली. सचिव ने कहा कि राहुल की हर संभव मदद की जायेगी. समुचित इलाज कराया जायेगा, ताकि वह पूरी तरह ठीक होकर आम जिंदगी जी सके. उन्होंने कहा कि गरीबी व जागरूकता के अभाव में राहुल का बचपन बेड़ियों में जकड़ा है. उन्होंने कहा कि डालसा द्वारा गांव-गांव में कानूनी जागरूकता शिविर लगा कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसके बावजूद लोग इसकी सूचना नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा राहुल जैसे बच्चों की पहचान डालसा की ओर की जायेगी और उसका समुचित इलाज कराया जायेगा. मालूम हो कि छह अक्तूबर को प्रभात खबर में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई थी.

प्रभात इंपैक्ट

संदर्भ : बेड़ियों में जकड़ा है सजना का राहुल

डालसा करायेगा राहुल का समुचित इलाज

प्रभात खबर \ चतरा

रिनपास में होगा राहुल का इलाज : जिला जज

- प्रभात खबर में प्रकाशित खबर का असर
- जिला जज ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी
- राहुल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है

प्रभात इंपैक्ट

प्रतिनिधि, चतरा

सदर प्रखंड के सजना गांव निवासी राहुल (बेड़ियों में जकड़ा है) को एक-दो दिन में रिनपास (स्टेट हेल्थ मेंटल हॉस्पिटल) रांची भेजा जाबेगा, ताकि राहुल सामन्य जीवन जी सके. झालसा की ओर से इलाज व अन्य खर्च का वहन किया जायेगा. यह जानकारी गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश नारायण पांडे ने प्रेस कांफ्रेंस में दी.

उन्होंने बताया कि झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष सह न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने इस मामले को गंभीरता से लिया. डालसा को राहुल को रिनपास भेजने का निर्देश दिया. श्री पांडेय ने बताया कि राहुल मानसिक रूप से बीमार है. छह-सात वर्ष की आयु में बीमार पड़ा था. उसे इलाज के लिए गया भेजा गया था, लेकिन गरीबी के कारण उसका समुचित इलाज नहीं हो पाया. उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन, चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी व डालसा के सचिव मो तौफिक अहमद को भेज कर इसकी जांच करायी गयी. इस संबंध में उपायुक्त से भी विचार-विमर्श किया गया.

उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 के तहत मानसिक रोगियों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है. मालूम हो कि छह अक्तूबर को प्रभात खबर में राहुल के बेड़ियों में जकड़े होने से संबंधित खबर प्रकाशित की गयी थी.

बेड़ियों में जकड़े राहुल को रिनपास भेजेगा प्राधिकार

चतरा : शहर के सजना गांव में बेड़ियों से जकड़ा मानसिक रूप से बीमार राहुल को समुचित इलाज के लिए दो दिनों के अंदर रांची स्थित रिनपास भेजा जाएगा। उक्त बातें व्यवहार न्यायालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस वार्ता के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश नारायण पांडेय ने कही। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों में राहुल के बेड़ियों में जकड़े होने की खबर प्रकाशित होने पर माननीय न्यायामूर्ति सह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यपालक अध्यक्ष डीएन पटेल ने इस मामले को संज्ञान लेते हुए राहुल को उचित चिकित्सीय इलाज दिलाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। बाल कल्याण समिति के सदस्य मो. मिन्हाजुल हक, प्राधिका रके जिला सचिव मो. तौफीक अहमद, सिविल सर्जन डा. एस एन सिंह एवं डा. श्यामनदंन सिंह से राहुल की स्थिति की जांच कराई गई। उन्होंने बताया कि आठ साल पूर्व राहुल की मानसिक रोग का इलाज सदर अस्पताल में किया गया था। बाद में गया से भी इलाज कराया गया। लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। इधर बेड़ियों में जकड़े होने की खबर के बाद राहुल का इलाज रिनपास में मुफ्त कराने की व्यवस्था की गई है तथा

जानकारी देते पीडीजी जेपीएन पांडेय।

राहुल को दो दिनों के भीतर रिनपास भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि राहुल को इलाज कराने की सहमति उपायुक्त द्वारा भी दी गई है। राहुल को आवासन एवं चिकित्सीय सुविधा की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि मानवीय संवेदना के तहत मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की पहचान एवं निःशुल्क इलाज में आम लोगों को भी आगे आने की जरूरत है।

दैनिक भास्कर

रांची, शनिवार 10 अक्टूबर, 2015

विक्षिप्त युवक का कराया जाएगा निःशुल्क इलाज

चतरा | सजना गांव निवासी मानसिक रूप से बीमार राहुल कुमार का निःशुल्क इलाज कराया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपीएन पांडेय ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि राहुल कुमार के परिजन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण उसका इलाज नहीं करा पा रहे थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव तौफिक अहमद एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने राहुल से मिलकर उसकी मनोस्थिति जानने का प्रयास किया। सिविल सर्जन डॉ. एसपी सिंह के नेतृत्व में विक्षिप्त राहुल की जांच कराई गई। चिकित्सकों ने युवक को मानसिक आरोग्यशाला में इलाज कराने का रिपोर्ट सौंपा है। इसी के आधार पर विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर विक्षिप्त युवक को रिनपास रांची स्थित मानसिक आरोग्यशाला भेजा जाएगा।

आज रांची, १० अक्तूबर, २०१५

मानसिक विक्षिप्त बालक का रिनपास इलाज होगा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश

चतरा : बाइसकोट भवन स्थित व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कक्ष में एक प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन शुक्रवार को हुआ । इसकी अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेपीएन पांडेय ने किया । उन्होंने बतलाया कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित 'बेड़ियों में जकड़ा राहुल' शीर्षक को पढ़ झारखण्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल सह झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकारके कार्यपालक अध्यक्ष ने संज्ञान लिया । उन्होंने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतरा सह अध्यक्ष जिला विधिक प्राधिकार चतरा से इसका प्रतिवेदन मांगा । उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मो0 तॉफीक अहमद को दूरभाष द्वारा तत्काल उपरोक्त पीड़ित के घर जाकर उक्त समाचार की सत्यता के जांच का निर्देश दिया । उन्होंने जाकर देखा तो पाया कि दैनिक समाचार पत्र में अंकित समाचार अक्षरशः सत्य है । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सीएस को भी निर्देश दिया और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष से भी इसका प्रतिवेदन का मांग किया । सीएस डॉ एसपी सिंह और सर्जन डॉ एसएन सिंह ने स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन दिया कि यह मामला सत्य है । आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व उक्त बालक का इलाज सदर अस्पताल में हुआ था, वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था और आज भी है । यहां ठीक नहीं होने के बाद उसे गया मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था परन्तु अपने आभाव के कारण उसके परिजन शायद इलाज नहीं करवा पाये और न सदर अस्पताल को इसकी सूचना प्राप्त हुई । प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उपायुक्त से विचार विमर्ष कर उक्त पीड़ित बालक को रिनपास में निःशुल्क इलाज हेतु भेजने का निर्णय लिया गया है । जहां उसका इलाज निःशुल्क होगा । ऐसे भारतीय संविधान के मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के तहत संबंधित थाना प्रभारी का कर्तव्य बनता है कि वैसे व्यक्ति को अपने कब्जे में लेकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश करे और उसका इलाज हेतु रिनपास भेजा जाय। ऐसे आम नागरिकों का भी कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति की सूचना संबंधित थाना प्रभारी अथवा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को दें । उन्होंने आगे बतलाया कि इस संबंध में भारतीय संविधान में बहुत बातें अंकित है एवं इस विषय पर कई अधिनियम हैं ।

प्रभार खबर की खबर पर लिया संज्ञान

चतरा का राहुल रिनपास में भरती

वरीय संवाददाता, रांची

चतरा के राहुल को बुधवार को रिनपास में भरती करा दिया गया. झारखंड लीगल सर्विसेस अथॉरिटी (झालसा) ने प्रभात खबर में छपी खबर का संज्ञान लिया. खबर में जिक्र किया गया था कि राहुल को उसकी मां बेड़ियों से जकड़ कर रखती है. झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस डीएन पटेल ने पूरे मामले की जांच कर चतरा के जिला विधिक प्राधिकार (डालसा) को रिपोर्ट देने को कहा था. चतरा डालसा ने राहुल की मां से बात की. उसने बताया कि राहुल मानसिक रूप से बीमार है. वह घर में छोड़कर जाती है, तो खुद को घर में बंद कर लेता है या भाग जाता है. खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है. राहुल के पिता नहीं है. मां गरीब

रिनपास में भरती के लिए लाया गया चतरा का राहुल.

है. पूरे मामले से झालसा को अवगत कराया गया. झालसा ने उसे रिनपास में भरती कराने को कहा. डालसा रांची से बात कर राहुल को बुधवार को जिला प्रशासन, चिकित्सक और पुलिस के सहयोग से रिनपास लाया गया.

रांची डालसा के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि चिकित्सकों ने बताया कि 10 साल पहले उसे मेनेनजाइटिस हुआ था. इसका सही तरीके इलाज नहीं होने के कारण मनोरोगी हो गया है. दवा और उचित इलाज से वह ठीक हो जायेगा. भरती कराते समय डालसा के रिनपास के प्रतिनिधि अधिवक्ता संजय कुमार शर्मा भी मौजूद थे.

the pioneer

RANCHI | THURSDAY | OCTOBER 15, 2015

JHALSA initiatives help unchain mentally-ill boy

PNS ■ RANCHI

16-YEAR-OLD RAHUL HAS BEEN AFTER THE INITIATIVE TAKEN BY JUSTICE DN, EXECUTIVE CHAIRMAN, JHALSA ADMITTED TO RINPAS FOR BETTER TREATMENT

A 16-year-old boy, who was leading a miserable life in the cuffs since early childhood, was today admitted to Ranchi Institute of Neuro Psychiatry and Allied Sciences (RINPAS) for better treatment on the behest of Jharkhand Legal Services Authority (JHALSA).

The boy, named Rahul, was kept chained by his parents as he used to run away from house due to mental illness in a village in Chatra district.

The initiative was taken by Justice DN Patel, Executive Chairman, JHALSA when he read a report of the child in a vernacular newspaper. JHALSA took cognizance of the matter and directions were issued by Justice Patel to submit a report with respect to the news report by DLSA, Chatra.

The Principal District and Sessions Judge-cum-Chairman, DLSA, Chatra in his report submitted that Secretary, DLSA, Chatra, Child Welfare Committee, Chatra and Civil Surgeon, Chatra visited the house of the mentally-ill child to verify the genuineness of the matter.

Secretary, DLSA, Chatra in his report submitted that Rahul Kumar is living with his mother Meena Devi and other family members at the village and he is shackled to his both legs with iron fetters.

The Secretary further said that when asked to free Rahul, he was told by his mother and family members that it is for his safety and security that he has been kept under fetters otherwise, either he will run away or keep himself confined bolting the door from inside and will be in trouble of safety and security of life, since he is a mentally-ill child.

The team of CWC, Chatra also visited the aforesaid house and found the same as described before and observed that Rahul led a normal life till the age of 6 years and thereafter was treated at Sadar Hospital, Chatra for paralytic attack, but could not be cured and due to poverty, his guardians could not continue his treatment and presently he is not getting any medical treatment.

Mentally challenged boy Rahul along with officials and relatives at RINPAS in Kanke on Wednesday

Pioneer photo

A medical team headed by the Civil Surgeon, Chatra also visited the house of Rahul and found that he had been for Meaingoenaphalitis 9 years back at Sadar Hospital, Chatra initially and then referred to Dr Bhandani of Gaya. After treatment, he was not cured completely and residual Neuro Psychiatric Sequel was seen. On examination, he was conscious but not oriented to time, place and person completely. He talks irreverently. In the light of such findings, the medical team recommended Rahul for Neuro Psychiatric management at a higher centre.

After perusal of the report submitted by Chairman, DLSA, Chatra, the Executive Chairman, JHALSA asked him to take immediate steps for better treatment of Rahul at RINPAS, Ranchi.

Accordingly, DLSA, Chatra took necessary steps for shifting of Rahul from Chatra to RINPAS, Kanke, Ranchi for his proper treatment free of cost with co-ordination of other stakeholders of the State so that the ailing child may recover from his illness and may lead a normal life.

Vinay Sinku, Deputy Director, RINPAS, Ranchi, Dr. Praveen Kumar Sinha and Deputy Secretary, JHALSA, were present at RINPAS to ensure the proper care and arrangement for treatment of Rahul at RINPAS, Kanke, Ranchi.